रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-02082021-228681
CG-DL-E-02082021-228681

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2864] नई दिल्ली, सोमवार, अगस्त 2, 2021/श्रावण 11, 1943
No. 2864] NEW DELHI, MONDAY, AUGUST 2, 2021/SHRAVANA 11, 1943

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 30 जुलाई, 2021

का.आ. 3086(अ).—केन्द्रीय सरकार, चाय अधिनियम, 1953 (1953 का 29) की धारा 30 की उप-धारा (3) और (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, चाय (विपणन) नियंत्रण आदेश, 2003 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.- (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम चाय (विपणन) नियंत्रण (संशोधन) आदेश, 2021 है।

(2) यह राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा।

2. चाय (विपणन) नियंत्रण आदेश, 2003 में प्ररूप 'क', प्ररूप 'छ' और प्ररूप 'ट' के स्थान पर क्रमश: निम्नलिखित प्ररूप रखे जाएंगे, अर्थात्:-

प्ररूप - 'क'

[पैरा 3(2) देखें]

चाय (विपणन) नियंत्रण आदेश, 2003 के पैरा 3(2) के अंतर्गत रजस्ट्रीकरण के लिए आवेदन।

सेवा में,

रजस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी चाय बोर्ड

कोलकाता

महोदय,

मैं/हम चाय (विपणन) नियंत्रण आदेश, 2003 के प्रयोजनों के लिए चाय के विनिर्माता और/या उत्पादक के रूप में रजस्ट्रीकरण के लिए एतद्वारा आवेदन करता हूँ/करते हैं।

आवश्यक विशिष्टियाँ नीचे प्रस्तुत किया गया है:

क. आवेदक का नाम (स्पष्ट अक्षरों में), (भागीदारी व्यवसाय के मामले में सभी भागीदारियों के नाम दिए जाने चाहिए):

ख: पूरा पता जिस पर पत्राचार किया जाएगा

ग. उत्पादन इकाई का नाम और पता

घ. राज्य और बागान जिला

ड. क्या इकाई अपने बागान में उगाई चाय को संसाधित करती है

च. क्या इकाई खरीदी हुई लीफ कारखाना है या कोई सहकारिता एकक है जिसके पास अपना सम्पदा नहीं है

छ. उत्पादन की वार्षिक क्षमता

ज. यदि राज्य सरकार के साथ कारखाने के रूप में रजस्ट्रीकृत है, रजस्ट्रीकृत सं. और तारीख

झ. एफएसएसएआई रजस्ट्रीकरण सं.

ञ. जीएसटी रजस्ट्रीकरण सं.

ट. केन्द्रीय उत्पाद शुल्क जोन एवं रजस्ट्रीकरण सं.

ठ. उत्पादित चाय के प्रकार का विनिर्दिष्ट करें -

क. पैकेट चाय

ख. टी बैग

ग. तुरंत चाय

घ. क्वीक ब्रुइंगी ब्लैक टी

ड. अन्य चाय

भवदीय,

आवेदक (कों) के हस्ताक्षर

स्थान :

तारीख :

प्रपत्र - ' छ'

(पैरा 11 देखें)

चाय (विपणन) नियंत्रण आदेश, 2003 के पैरा 11 के अंतर्गत अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन।

सेवा में,

रजस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी, चाय बोर्ड

कोलकाता

महोदय,

मैं/हम* चाय नीलामी में दलाल/चाय नीलामी के आयोजक के रूप में चाय कारबार को चलाने के लिए एक अनुज्ञप्ति के लिए एतद्द्वारा आवेदन करता हूँ/करते हैं।

मैं/हम* आवश्यक विशिष्टियाँ नीचे प्रस्तुत करता हूं/करते हैं :

1. आवेदक का नाम (स्पष्ट अक्षरों में), (भागीदारी व्यवसाय के मामले में सभी भागीदारों के नाम दिए जाने चाहिए):

2. पूरा पता (जिस पर पत्राचार किया जाएगा):

3. आवश्यक अनुज्ञप्ति की प्रकृति-चाय नीलामी में दलाल/चाय नीलामी के आयोजक के रूप में अनुज्ञप्ति:

4. चाय बोर्ड द्वारा जारी दलाल अनुज्ञप्ति सं / चाय नीलामी के आयोजक के रूप में अनुज्ञप्ति सं. (नवीकरण के मामले में)

5. परिसर का पूरा पता जिसमें आवेदक कारबार करने का इच्छुक है:

6. सोसाइटी रजस्ट्रीकरण सं. (नीलामी के आयोजक के लिए):

7. चाय बोर्ड के साथ-साथ चाय नीलामी केंद्रों के मानदंडो के अनुसार सार्वजनिक चाय नीलामी में दलालों के सभी मानदंडों का अनुपालन किया जाएगा (दलाल के लिए) : हाँ/नहीं

8. फीस भुगतान की रकम :

मैं/हम* ने चाय (विपणन) नियंत्रण आदेश, 2003 ध्यानपूर्वक पढ़ा तथा समझा है एवं उक्त आदेश के उपाबंधों का पालन करने के लिए एतद्द्वारा सहमत हूँ/हैं।

भवदीय

आवेदक (कों) के हस्ताक्षर

स्थान:

तारीख:

*लागू न होने वाले शब्दों को काट दें।

टिप्पण : 1 – यह आवेदन हस्ताक्षरित होना चाहिए, कंपनी के मामले में, कंपनी के सचिव या कंपनी के प्राधिकृत अभिकर्ता द्वारा तथा भागीदारी के मामले में, किसी एक भागीदार के द्वारा और एक व्यक्ति के मामले में, शब्द 'एकमात्र स्वत्वधारी' को हस्ताक्षर के पश्चात संलग्न किया जाएगा।

प्रारूप - 'ट'

[पैरा 3 क (2) देखें]

चाय (विपणन) नियंत्रण आदेश, 2003 के पैरा 3 क के अंतर्गत प्रमाणपत्र जारी करने के लिए आवेदन।

(तिहरी प्रति प्रस्तुत करें)

सेवा में,

प्रमाणन प्राधिकारी,

चाय बोर्ड, कोलकाता

महोदय,

मैं/हम चाय (विपणन) नियंत्रण आदेश, 2003 के अंतर्गत चाय विनिर्माता/ या उत्पादक के रूप में प्रमाणपत्र के लिए आवेदन करता हूं/करते हैं। आवश्यक विशिष्टियां नीचे प्रस्तुत किया गया है:

क्र.सं.	विशिष्टियां	टिप्पणियाँ
1.	आवेदक (कों) के नाम (स्पष्ट अक्षरों में)	
2.	बायोमीट्रिक कार्ड सं./उत्पादक कम्पनी के मामले में निगमन का प्रमाणपत्र	
3.	पिन कोड, ईमेल आईडी, फोन नम्बर सहित डाक का पूरा पता	
4.	चाय प्रसंस्करण इकाई का नाम	
5.	पिन कोड, ईमेल-आईडी, फोन नंबर सहित चाय प्रसंस्करण इकाई का पता	
6.	यदि आवेदक छोटा ऊपजकर्ता या छोटे ऊपजकर्ताओं का संगम या उत्पादक कंपनी है तो खेती के तहत कुल चाय भू-क्षेत्र का संक्षिप्त विवरण	
7.	यदि आवेदक छोटा ऊपजकर्ताओं या छोटे ऊपजकर्ताओं का संगम या उत्पादक कंपनी है तो प्रतिवर्ष है पत्ती के कुल उत्पादन का संक्षिप्त विवरण	
8.	उत्पादन की वार्षिक क्षमता	
9.	संस्थापित मशीनों और उपकरणों की विस्तृत सूची तथा उनके संस्थापन की तारीख	
10.	सिविल इंजीनियर द्वारा तैयार की गई कारखाना के फाइनल अभिन्यास की प्रति	
11.	क्या एफएसएसएआई से रजस्ट्रीकरण अभिप्राप्त किया गया है।	हॉ/नहीं
12.	एफएसएसएआई अनुज्ञप्ति सं.	
13.	जीएसटी रजस्ट्रीकरण सं.	
14.	केन्द्रीय उत्पाद शुल्क रजस्ट्रीकरण संख्या और जोन	
15.	चाय बोर्ड को संदत्त किए गए आवेदन फीस का ब्यौरा	

तारीख :

स्थान :

भवदीय,

[आवेदक (कों) के हस्ताक्षर]

[फा. सं. के-57012(13)/3/2020-बागान (क)]

दिवाकर नाथ मिश्र, संयुक्त सचिव (बागान)

टिप्पण :- मूल आदेश भारत के राजपत्र असाधारण, भाग-II, खण्ड 3, उप-खंड (ii) में का.आ.सं.1 (अ), तारीख 1 जनवरी, 2003 के तहत प्रकाशित किया गया था और उसके पश्चात् इसमें निम्नलिखित अधिसूचनाओं द्वारा संशोधन किए गए, अर्थात् :-

(1) का.आ. 247 (अ), तारीख 28 फरवरी, 2003;

(2) का.आ. 430 (अ), तारीख 10 अप्रैल, 2003;

(3) का.आ. 270 (अ), तारीख 27 फरवरी, 2004;

(4) का.आ. 1170 (अ), तारीख 20 अक्तूबर 2004;

(5) का.आ. 1017 (अ), तारीख 15 जुलाई, 2005;

(6) का.आ. 1012 (अ), तारीख 15 अप्रैल, 2015;

(7) का.आ. 2688 (अ), तारीख 1 अक्तूबर, 2015;

(8) का.आ. 3319 (अ), तारीख 25 अक्तूबर, 2016;

(9) का.आ. 21 (अ), तारीख 3 जनवरी, 2017;

(10) का.आ. 2288 (अ), तारीख 4 जून, 2018; और

(11) का.आ. 2560 (अ), तारीख 31 जुलाई, 2020।

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

ORDER

New Delhi, the 30th July, 2021

S.O. 3086(E).—In exercise of the power conferred by sub-sections (3) and (5) of section 30 of the Tea Act, 1953 (29 of 1953), the Central Government hereby makes the following Order further to amend the Tea (Marketing) Control Order, 2003, namely:-

1. Short title and commencement.- (1) This Order may be called the Tea (Marketing) Control (Amendment) Order, 2021.

(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. In the Tea (Marketing) Control Order, 2003, for Form 'A', Form 'G' and Form 'K', the following Forms shall respectively, be substituted, namely:-

FORM – 'A'

[See PARAGRAPH 3(2)]

APPLICATION FOR REGISTRATION UNDER PARAGRAPH 3(2) OF TEA (MARKETING) CONTROL ORDER, 2003.

To

The Registering Authority Tea Board

Kolkata

Sir

I/We hereby apply for registration as a manufacturer and/or producer of tea for purposes of the Tea (Marketing) Control Order, 2003.

Necessary particulars are furnished below:-

(a) Name of the applicant (in Block Letters), (in the case of partnership concern the names of all the partners should be given):

(b) Full address to which correspondence is to be sent.

(c) Names and address of the production units.

(d) State and Plantation district.

(e) Whether the unit processes tea grown in its own gardens.

(f) Whether the unit is a bought leaf factory or a co-operative unit not having an estate of its own.

(g) Annual capacity for production

(h) If registered as a factory with State Government, Registration No. and date.

(i) FSSAI Registration No.

(j) GST Registration No.

(k) Central Excise Zone and Registration No.

(l) Specify the type of tea produced-

(a) Packet tea.

(b) Tea Bags.

(c) Instant tea.

(d) Quick Brewing Black tea.

(e) any other tea.

Yours faithfully,

Signature of the Applicant (s)

Place:

Date:

FORM – 'G'

(See PARAGRAPH 11)

APPLICATION FOR LICENCE UNDER PARAGRAPH 11 OF TEA (MARKETING) CONTROL ORDER, 2003.

To

The Licensing Authority, Tea Board

Kolkata

Sir,

I/We* hereby apply for a licence to carry on the business in tea as **BROKER IN TEA AUCTIONS/ORGANISERS OF TEA AUCTION**

I/We* furnish the necessary particulars below:-

1. Name of the applicant (in block letters), (in the case of partnership concern, the names of all the partners should be given) :
2. Full address (to which correspondence is to be sent) :
3. Nature of Licence is required – licence as : Broker in Tea Auction/Organisers of Tea Auction **:**
4. Broker Licence No./Licence No. of Organisers of Tea Auction issued by Tea Board (in case of renewal):
5. Full address of the premises in which the applicant intends to do business :
6. Society Registration No. (for Organiser of Auction):
7. All norms of brokers in public tea auctions as per norms of tea auction centres as well as Tea Board will be complied (for Broker): Yes/No
8. Amount of fee paid:

I/We* have carefully read and understood the Tea (Marketing) Control Order, 2003 hereby agree to abide by the provisions of the aid Order.

Yours faithfully,

Signature of the Applicant(s)

Place:

Date:

*Score out the words not applicable.

Note 1:– This application should be signed, in the case of a company, by the Secretary or an authorised agent of the company and in the case of a partnership concern, by one of the partners and in the case of individuals, the words ‘Sole Proprietor’ shall be appended after signature.

FORM – ‘K’

[See PARAGRAPH 3A(2)]

APPLICATION FOR ISSUANCE OF CERTIFICATE UNDER PARAGRAPH 3A OF TEA (MARKETING) CONTROL ORDER, 2003

To

The Certifying Authority,

Tea Board, Kolkata

Sir,

I/We hereby apply for certificate as a manufacturer /or producer of tea under the Tea (Marketing) Control Order, 2003. Necessary particulars are furnished below:

Sl. No.	Particulars	Remarks
1	Name of the applicant(s) (in block letters)	
2	Biometric Card No./certificate of incorporation in case of producer Company	
3	Full mailing address with PIN Code, Email ID, Phone Number	
4	Name of the Tea Processing unit	
5	Address of the Tea Processing unit with PIN Code, Email ID, Phone Number	
6	Total land area of tea under cultivation with break up, if the applicant is a small grower or an association of small growers or a producer company	
7	Total green leaf produced per year with break up, if the applicant is a small grower or an association of small growers or a producer company	
8	Annual Capacity of Production	
9	Detailed list of machines and equipment installed with date of installation	
10	Copy of the final factory lay out drawing to be drawn by civil engineer	
11	Whether registration from FSSAI have been obtained	Yes/No
12	FSSAI License No.	
13	GST Registration No.	
14	Central Excise registration number and zone	
15	Details of Application fee paid to Tea Board	

Date:

Place:

Yours faithfully,

Signature of the Applicant(s)

[F.No. K-57012(13)/3/2020-Plant (A)]

DIWAKAR NATH MISRA, Jt. Secy. (Plantations)

Note: The principal order was published in the Gazette of India, extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) vide Notification Number S.O.1 (E), dated 1st January, 2003 and subsequently amended vide following notifications namely: -

(1) S.O. 247 (E), dated the 28th February, 2003;

(2) S.O. 430 (E), dated the 10th April, 2003;

(3) S.O. 270 (E), dated the 27th February, 2004;

(4) S.O. 1170 (E), dated the 20th October, 2004;

(5) S.O. 1017 (E), dated the 15th July, 2005;

(6) S.O. 1012 (E), dated the 15th April, 2015;

(7) S.O. 2688 (E), dated the 1st October, 2015;

(8) S.O. 3319 (E), dated the 25th October, 2016;

(9) S.O. 21 (E), dated the 3rd January, 2017;

(10) S.O. 2288 (E), dated the 4th June, 2018; and

(11) S.O. 2560 (E), dated the 31st July, 2020.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2021.08.02 21:54:51 +05'30'